



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 17, 2010/वैशाख 27, 1932

No. 259]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 17, 2010/VAISAKHA 27, 1932

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय  
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2010

सा.कार.नि. 412(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61), की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2010 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम 30 अप्रैल, 2003 की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "उत्तर प्रदेश" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उत्तर प्रदेश

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ इयूटी पद	290
मुख्य सचिव	1
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड और सलाहकार, भूमि सुधार	1
अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकरण और अध्यक्ष, सतर्कता आयोग	1

सदस्य, राजस्व बोर्ड	2
महानिदेशक, प्रशिक्षण	1
मंडल आयुक्त (आगरा, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर)	6
सरकार के प्रधान सचिव	10
आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली	1
कृषि उत्पाद आयुक्त	1
औद्योगिक विकास आयुक्त	1
समाज कल्याण आयुक्त	1
रज्यपाल के प्रधान सचिव	1
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	1
महानिदेशक, ग्रामीण विकास राज्य संस्थान	1
मंडल आयुक्त	11
सरकार के सचिव	34
मुख्य मंत्री के सचिव	2
बिक्री कर आयुक्त	1
ग्रामीण विकास आयुक्त	1
परिवहन आयुक्त	1
पंजीयक, सहकारी समितियां	1
निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	1
निदेशक, उद्योग	1
आयुक्त, उत्पाद शुल्क	1
निदेशक, हथकरघा	1

आयुक्त, ईश्वर	1	निदेशक (प्रशासन), एस.जी.पी.जी.आई.	1
सचिव, राजस्व बोर्ड	1	अपर निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	1
महानिदेशक, कारागार	1	अपर आवासीय आयुक्त	1
महानिदेशक, पर्यटन	1	1. कुल वरिष्ठ झूटी पद	290
श्रम आयुक्त	1	2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40% की दर से	116
अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकरण-II	1	3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25% की दर से	73
सदस्य (न्यायिक), राजस्व बोर्ड	2	4. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5% की दर से	10
खाद्य आयुक्त	1	5. एल.आर. और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5% की दर से	48
मनोरंजन कर आयुक्त	1	6. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33.3% से अधिक नहीं	163
महानिरीक्षक, पंजीकरण एवं स्टाम्प आयुक्त, चकबन्दी	1	7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5—6)	374
मुख्य सचिव के प्रधान स्टाफ अधिकारी	1		
निदेशक, संस्कृति	1		
जिला मजिस्ट्रेट	70	<b>कुल प्राधिकृत संख्या</b>	<b>537</b>
संयुक्त विकास आयुक्त/सी.डी.ओ./अपर/संयुक्त परियोजना प्रशासक, क्षेत्र विकास सरकार के विशेष सचिव	14		
सरकार के संयुक्त सचिव	54		
अपर/संयुक्त श्रम आयुक्त	30		
अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग	1		
अपर पंजीयक, सहकारी समितियाँ	2		
अपर आयुक्त, ग्रामीण विकास	1		
अपर/संयुक्त बिक्री कर आयुक्त	1		
निदेशक, पंचायत	1		
सूचना निदेशक	1		
निदेशक, प्रशिक्षण तथा रोजगार	1		
निदेशक, समाज कल्याण	1		
सचिव, लोक सेवा आयोग	1		
निदेशक, शहरी भूमि परिसीमन	1		
राहत आयुक्त	1		
निदेशक, स्थानीय निकाय	1		
क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक	2		
निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	1		
अपर पंजीयक, सहकारी समिति	1		
उपायुक्त, भूमि सुधार	1		
निदेशक, लोक उद्यम व्यूरो तथा सरकार के संयुक्त/विशेष सचिव	1		

[फा. सं. 11031/05/2010-अ.भा.से II-क]

हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

पाद टिप्पणी.—माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के सिविल रिट याचिका सं. 19103-04 में पारित दिनांक 14-11-2008 के आदेश, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं. 67585-59 में दिनांक 23-3-2010 के निर्णय द्वारा अपहेल्ड किया गया था, के अनुपालन में उक्त अधिसूचना पूर्व तिथि से जारी की गई है।

टिप्पणी 1.—इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 537 थी।

टिप्पणी 2.—मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की सं. का.नि.अ. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। बाद में, उत्तर प्रदेश संवर्ग के संबंध में इन विनियमों में संशोधन निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं और तारीखों के द्वारा किए गए थे :—

क्र. सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	426	16-10-74
2.	946	24-12-76
3.	1279	28-10-78
4.	471	8-8-79

(1)	(2)	(3)		
5.	446	24-7-80	Chairman, Administrative Tribunal and Chairman, Vigilance Commission	1
6.	324	28-3-81	Member, Board of Revenue	2
7.	750	15-8-81	Director General, Training	1
8.	900(अ)	20-12-83	Divisional Commissioners (Agra, Varanasi, Meerut,	6
9.	961	26-12-87	Lucknow, Allahabad, Kanpur)	
10.	190	26-3-88	Principal Secretary to the Government	10
11.	526	28-11-92	Resident Commissioner, New Delhi	1
12.	125	6-3-93	Agriculture Production Commissioner	1
13.	319(अ)	31-3-95	Industrial Development Commissioner	1
14.	739(अ)	31-12-97	Social Welfare Commissioner	1
15.	230(अ)	30-4-98	Principal Secretary to Governor	1
16.	805(अ)	21-10-2000	Principal Secretary to Chief Minister	1
17.	806(अ)	21-10-2000	Director General, State Institute of Rural Development	1
18.	290	3-9-2005	Divisional Commissioners	11
19.	13(अ)	13-1-2006	Secretary to Government	34
20.	188(अ)	24-3-2009	Secretary to Chief Minister	2

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

(Department of Personnel and Training)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th May, 2010

**G.S.R. 412(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Uttar Pradesh hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Sixth Amendment Regulations, 2010.

(2) They shall come into force with effect from 30th April, 2003.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading "Uttar Pradesh" for the entries occurring thereunder, the following shall be substituted namely:—

**UTTAR PRADESH**

Senior Duty Posts under the State Government	290
Chief Secretary	1
Chairman, Board of Revenue & Adviser, Land Reforms	1

District Magistrates	70
Joint Development Commissioner/CDO/Additional/Joint Project Administrator, Area Development	14
Special Secretary to Government	54

Joint Secretary to Government	30
Additional/Joint Labour Commissioner	1
Additional/Joint Director of Industries	2
Additional Registrar, Cooperative Societies	2
Additional Commissioner, Rural Development	1
Additional/Joint Sales Tax Commissioner	1
Director, Panchayats	1
Director, Information	1
Director, Training & Employment	1
Director, Social Welfare	1
Secretary, Public Service Commission	1
Director, Urban Land Ceiling	1
Relief Commissioner	1
Director, Local Bodies	1
Regional Food Controller	2
Director (Administration), Medical Health & Family Welfare	1
Additional Registrar, Cooperative Societies	1
Deputy Land Reforms Commissioner	1
Director, Bureau of Public Enterprises and Joint/Special Secretary to Government	1
Director (Administration), SGPGI	1
Additional Director, Administrative Training Institute	1
Additional Resident Commissioner	1
<b>1. Total Senior Duty Posts</b>	<b>290</b>
2. CDR @ 40% of item 1 above	116
3. SDR @ 25% of Item 1 above	73
4. TR @ 3.5% of Item 1 above	10
5. LR and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above	48
6. Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Item 1, 2, 3 and 4 above	163
7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	374
<b>Total Authorized Strength</b>	<b>537</b>

[F. No. 11031/05/2010-AIS-II-A]

HARISH C. RAI, Desk Officer

[Foot Note.—Ante-dating the date of notification has been made in implementation of the order of the Hon'ble Delhi High Court dated 14th November, 2008 in Writ Petition (C)

No. 19103-04 of 2006 which has been upheld by the Hon'ble Supreme Court in judgment dated 23rd March, 2010 in WP (C) No. 6758-59 of 2009.]

Note 1.—Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of Uttar Pradesh IAS Cadre was 537.

Note 2.—The principal Regulations were published in the Gazette of India *vide* S.R.O. No. 3350, dated 22-10-1955. Subsequently, they were amended in respect of the Uttar Pradesh Cadre of Indian Administrative Service *vide* following G.S.R. numbers and dates :—

S. No.	G.S.R. No.	Date
1.	426	16-10-74
2.	946	24-12-76
3.	1279	28-10-78
4.	471	08-08-79
5.	446	24-07-80
6.	324	28-03-81
7.	750	15-08-81
8.	900(E)	20-12-83
9.	961	26-12-87
10.	190	26-03-88
11.	526	28-11-92
12.	125	06-03-93
13.	319(E)	31-03-95
14.	739(E)	31-12-97
15.	230(E)	30-04-98
16.	805(E)	21-10-2000
17.	806(E)	21-10-2000
18.	290	03-09-2005
19.	13(E)	13-01-2006
20.	188(E)	24-03-2009

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2010

सा.का.नि. 413(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) को धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन), आठवां संशोधन नियमावली, 2010 है।

(2) ये विनियम 30 अप्रैल, 2003 की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 :—

(क) तालिका में "अनुसूची-II-क में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों में" में, प्रथम कॉलम में "उत्तर प्रदेश" प्रविष्टि नीचे आने वाली प्रविष्टियों और दूसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

**उत्तर प्रदेश**

मुख्य सचिव	रु. 26,000 (नियत)
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड और सलाहकार, भूमि सुधार	रु. 26,000 (नियत)
अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकरण और अध्यक्ष, सतर्कता आयोग	रु. 26,000 (नियत)
सदस्य, राजस्व बोर्ड	रु. 26,000 (नियत)
महानिदेशक, प्रशिक्षण	रु. 26,000 (नियत)
मंडल आयुक्त (आगरा, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर)	रु. 22,400-525-24,500
सरकार के प्रधान सचिव	रु. 22,400-525-24,500
आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली	रु. 22,400-525-24,500
कृषि उत्पाद आयुक्त	रु. 22,400-525-24,500
औद्योगिक विकास आयुक्त	रु. 22,400-525-24,500
समाज कल्याण आयुक्त	रु. 22,400-525-24,500
राज्यपाल के प्रधान सचिव	रु. 22,400-525-24,500
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	रु. 22,400-525-24,500
महानिदेशक, ग्रामीण विकास राज्य संस्थान	रु. 22,400-525-24,500
मंडल आयुक्त	रु. 18,400-500-22,400
सरकार के सचिव	रु. 18,400-500-22,400
मुख्य मंत्री के सचिव	रु. 18,400-500-22,400
बिक्री कर आयुक्त	रु. 18,400-500-22,400
ग्रामीण विकास आयुक्त	रु. 18,400-500-22,400
परिवहन आयुक्त	रु. 18,400-500-22,400
पंजीयक, सहकारी समितियां	रु. 18,400-500-22,400
निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	रु. 18,400-500-22,400
निदेशक, उद्योग	रु. 18,400-500-22,400
आयुक्त, उत्पाद शुल्क	रु. 18,400-500-22,400
निदेशक, हथकरघा	रु. 18,400-500-22,400
आयुक्त, ईंधन	रु. 18,400-500-22,400
सचिव, राजस्व बोर्ड	रु. 18,400-500-22,400
महानिदेशक, कारागार	रु. 18,400-500-22,400

महानिदेशक, पर्यटन	रु. 18,400-500-22,400
श्रम आयुक्त	रु. 18,400-500-22,400
अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकरण-II	रु. 18,400-500-22,400
सदस्य (न्यायिक), राजस्व बोर्ड	रु. 18,400-500-22,400
खाद्य आयुक्त	रु. 18,400-500-22,400
मनोरंजन कर आयुक्त	रु. 18,400-500-22,400
महानिरीक्षक, पंजीकरण एवं स्टाम्प	रु. 18,400-500-22,400
आयुक्त, चक्रबन्दी	रु. 18,400-500-22,400
मुख्य सचिव के प्रधान स्टाफ अधिकारी	रु. 18,400-500-22,400
निदेशक, संस्कृति	रु. 18,400-500-22,400

(ख) "अनुसूची-II भाग(ख)" में (वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित) राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में "उत्तर प्रदेश" शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के प्रथम कॉलम में और आने वाली प्रविष्टियों को दूसरे कॉलम में निम्नलिखित स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

**जिला मजिस्ट्रेट**

संयुक्त विकास आयुक्त/सी.डी.ओ./अपर/संयुक्त परियोजना प्रशासक, क्षेत्र विकास
सरकार के विशेष सचिव
सरकार के संयुक्त सचिव
अपर/संयुक्त श्रम आयुक्त
अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग
अपर पंजीयक, सहकारी समितियां
अपर आयुक्त, ग्रामीण विकास
अपर/संयुक्त बिक्री कर आयुक्त
निदेशक, पंचायत
सूचना निदेशक
निदेशक, प्रशिक्षण तथा रोजगार
निदेशक, समाज कल्याण
सचिव, लोक सेवा आयोग
निदेशक, शहरी भूमि परिसीमन
राहत आयुक्त
निदेशक, स्थानीय निकाय
क्षेत्रीय खाद्य निर्यंत्रक
निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण
अपर पंजीयक, सहकारी समिति
उपायुक्त, भूमि सुधार
निदेशक, लोक उद्यम ब्यूरो तथा सरकार के संयुक्त/विशेष सचिव
निदेशक (प्रशासन), एस.जी.पी.जी.आई.



अपर निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान

अपर आवासीय आयुक्त

[फा.सं. 11031/05/2010-अ.प्र.से.-II-ख]

हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

पाद टिप्पणी.—माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के सिविल रिट याचिका सं. 19103-04 में पारित दिनांक 14-11-2008 के आदेश, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं. 67585-59 में दिनांक 23-03-2010 के निर्णय द्वारा अपहोल्ड किया गया था, के अनुपालन में उक्त अधिसूचना पूर्व तिथि से जारी की गई है।

टिप्पणी.—दिनांक 14-9-1954 के भारत के राजपत्र सं. का.नि.आ. 158 द्वारा प्रमुख नियमों को प्रकाशित किया गया है। सा.का.नि. संख्या और तिथियों द्वारा उत्तर प्रदेश के बारे में अनुसूची-III के प्रमुख नियमों को संशोधित किया गया है :—

क्र. सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1.	52(अ)	28-2-74
2.	427(अ)	16-10-74
3.	947(अ)	24-12-76
4.	447(अ)	24-7-80
5.	901(अ)	20-12-83
6.	962	26-12-87
7.	527	28-11-92
8.	126	6-3-93
9.	231(अ)	30-4-98
10.	805(अ)	21-10-2000
11.	807(अ)	21-10-2000
12.	291	3-9-2005

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2010

G.S.R. 413(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Uttar Pradesh hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Eighth Amendment Rules, 2010.

(ii) They shall come into force with effect from 30th April, 2003.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954 :—

(a) In "Scheduled III-A posts carrying pay above the time scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments", in the table, for the entry 'Uttar Pradesh' occurring in the first column and corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted namely :—

#### 'UTTAR PRADESH'

Chief Secretary	Rs. 26,000 (Fixed)
Chairman, Board of Revenue and Adviser, Land Reforms	Rs. 26,000 (Fixed)
Chairman, Administrative Tribunal and Chairman, Vigilance Commission	Rs. 26,000 (Fixed)
Member, Board of Revenue	Rs. 26,000 (Fixed)
Director General, Training	Rs. 26,000 (Fixed)
Divisional Commissioners (Agra, Varanasi, Meerut, Lucknow, Allahabad, Kanpur)	Rs. 22,400-525-24,500
Principal Secretary to the Government	Rs. 22,400-525-24,500
Resident Commissioner, New Delhi	Rs. 22,400-525-24,500
Agriculture Production Commissioner	Rs. 22,400-525-24,500
Industrial Development Commissioner	Rs. 22,400-525-24,500
Social Welfare Commissioner	Rs. 22,400-525-24,500
Principal Secretary to Governor	Rs. 22,400-525-24,500
Principal Secretary to Chief Minister	Rs. 22,400-525-24,500
Director General, State Institute of Rural Development	Rs. 22,400-525-24,500
Divisional Commissioners	Rs. 18,400-500-22,400
Secretary to Government	Rs. 18,400-500-22,400
Secretary to Chief Minister	Rs. 18,400-500-22,400
Sales Taxes Commissioner	Rs. 18,400-500-22,400
Commissioner of Rural Development	Rs. 18,400-500-22,400
Transport Commissioner	Rs. 18,400-500-22,400
Registrar, Co-operative Societies	Rs. 18,400-500-22,400
Director, Administrative Training Institute	Rs. 18,400-500-22,400

Director of Industries	Rs. 18,400-500-22,400
Excise Commissioner	Rs. 18,400-500-22,400
Director, Handlooms	Rs. 18,400-500-22,400
Cane Commissioner	Rs. 18,400-500-22,400
Secretary, Board of Revenue	Rs. 18,400-500-22,400
Director General, Prisons	Rs. 18,400-500-22,400
Director General, Tourisms	Rs. 18,400-500-22,400
Labour Commissioner	Rs. 18,400-500-22,400
Chairman Administrative Tribunal II	Rs. 18,400-500-22,400
Member (Judicial) Board of Revenue	Rs. 18,400-500-22,400
Commissioner, Food	Rs. 18,400-500-22,400
Entertainment Tax Commissioner	Rs. 18,400-500-22,400
Inspector General of Registration & Stamps	Rs. 18,400-500-22,400
Commissioner for Consolidation	Rs. 18,400-500-22,400
Principal Staff Officer to Chief Secretary	Rs. 18,400-500-22,400
Director, Culture	Rs. 18,400-500-22,400

- (b) In "Schedule III-Part B" Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments (including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale), in the Table, for the entry 'Uttar Pradesh' occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely :—

District Magistrates
Joint Development Commissioner/CDO/Additional/Joint Project Administrator, Area Development
Special Secretary to Government
Joint Secretary to Government
Additional/Joint Labour Commissioner
Additional/Joint Director of Industries
Additional Registrar, Cooperative Societies
Additional Commissioner, Rural Development
Additional/Joint Sales Tax Commissioner
Director, Panchayats
Director, Information
Director, Training & Employment

Director, Social Welfare
Secretary, Public Service Commission
Director, Urban Land Ceiling
Relief Commissioner
Director, Local Bodies
Regional Food Controller
Director(Administration), Medical Health & Family Welfare
Additional Registrar, Cooperative Societies
Deputy Land Reforms Commissioner
Director, Bureau of Public Enterprises and Joint/Special Secretary to Government
Director (Administration), SGPGI
Additional Director, Administrative Training Institute
Additional Resident Commissioner

[F.No. 11031/05/2010-AIS-II-B]

HARISH C. RAI, Desk Officer

[Foot Note.—Ante-dating the date of notification has been made in implementation of the order of the Hon'ble Delhi High Court dated 14th November, 2008 in Writ Petition (C) No.19103-04 of 2006 which has been upheld by the Hon'ble Supreme Court in judgment dated 23rd March, 2010 in WP (C) No. 6758-59 of 2009.]

Note.—The Principal rules were published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 158 dated 14-9-1954. Schedule III of the Principal Rules in respect of Uttar Pradesh have been amended vide G.S.R. Nos. and dates :—

Sl. No.	G.S.R. No.	Date
1.	52(E)	28-02-74
2.	427(E)	16-10-74
3.	947(E)	24-12-76
4.	447(E)	24-7-80
5.	901(E)	20-12-83
6.	962	26-12-87
7.	527	28-11-92
8.	126	6-3-93
9.	231(E)	30-4-98
10.	805(E)	21-10-2000
11.	807(E)	21-10-2000
12.	291	3-9-2005.